

बिहार सरकार  
जल संसाधन विभाग

आदेश

आ0सं0-12/स्था0-01-44/2025

मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, अनिसाबाद, पटना के पत्रांक-622 दिनांक 30.04.2026 द्वारा प्राप्त अनुशंसा के आलोक में श्रीमती इमामी कुमारी, कनीय अभियंता (आई0डी0-जे0 11256), गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, डिहरी को उनके प्रथम संतान के जन्म हेतु वित्त विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-2555 दिनांक 29.03.2016 एवं बिहार सेवा संहिता के नियम-220 के आलोक में दिनांक 10.09.2025 से 08.03.2026 तक कुल-180 (एक सौ अस्सी) दिनों का मातृत्व अवकाश की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

- नियंत्रि पदाधिकारी उक्त अवकाश को HRMS Portal एवं सेवापुस्त में प्रविष्टि करना सुनिश्चित करेंगे, तत्पश्चात् भुगतान की कार्रवाई की जाएगी।
- प्रस्ताव पर सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह0/-  
(मनीष आनंद)  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि :- कोषागार पदाधिकारी, जिला कोषागार सासाराम, रोहतास को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - पटना, दिनांक -

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता, केन्द्रीय रूपांकण, शोध एवं गुण नियंत्रण, जल संसाधन विभाग, जल संसाधन भवन, अनिसाबाद, पटना को उनके पत्रांक-622 दिनांक 30.04.2026 के प्रसंग में/अधीक्षण अभियंता, गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) अंचल, पटना/कार्यपालक अभियंता, गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, डिहरी / श्रीमती इमामी कुमारी, कनीय अभियंता (आई0डी0-जे0 11256), गुण नियंत्रण (सिंचाई सृजन) प्रमंडल, डिहरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-  
अवर सचिव (प्रबंधन)।

ज्ञापांक - 2595 पटना, दिनांक - 18/5/26

प्रतिलिपि- कार्यपालक अभियंता, आई0टी0, सूचना प्रावैधिकी केन्द्र, जल संसाधन विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने एवं संबंधित पदाधिकारियों के ई-मेल पता पर भेजने हेतु प्रेषित।

M. S. S. 15/05/26  
अवर सचिव (प्रबंधन)।